सार-समाचार

फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे नकुल

उदयपुर, । झीलों की नगरी के युवा नकुल रोशन सहदेव ने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान कायम की है। कई बॉलीवुड फिल्मों और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर कई सीरिज में विभिन्न भूमिकाएं निभाकर चर्चा में आए नकुल अब अपनी मुख्य भूमिका वाली फिल्म मर्डरबाद 18 जुलाई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने जा रही इस फिल्म के प्रमोशन के लिए नकुल अपने गृहनगर उदयपुर पहुंचे और मीडिया के साथ अपने अनुभव व फिल्म से जुडी जानकारी साझा की। होटल कजरी में मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में नकुल ने मुंबई में अपनी 18 वर्ष की यात्रा के दौरान संघर्ष, सफलता, विफलता आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होने कहा कि लीड रोल वाली पहली फिल्म का अपने गृहनगर में प्रमोशन करना भावुक करने के साथ ही गर्व से भर देने वाला क्षण है। बता दें कि नकुल का जन्म एवं पालन-पोषण उदयपुर में ही हुआ है। सेंट पॉल स्कूल से उनकी स्कूलिंग हुई है। फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए नकुल ने बताया कि मर्डरबाद का निर्देशन अर्नब चटर्जी ने किया है। यह फिल्म एसीजी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है और रिलायंस एंटरटेनमेंट इसकी प्रस्तुतकर्ता है। श्याम कौशल एक्शन डायरेक्टर हैं और फिल्म के छायाकार बिनोद प्रधान हैं। नकुल ने बताया कि फिल्म की नब्बे प्रतिशत से अधिक शूटिंग जयपुर एवं राजस्थान के अन्य हिस्सों में हुई है। फिल्म की कहानी दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देगी। फिल्म मर्डरबाद में लीड रोल में नकुल है वहीं कनिका कपूर, मनीष चौधरी, शारिब हाशमी, अमोल गुप्ते, सलोनी बत्रा, और रवीना शर्मा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।

हमला करने वाले दो गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर पर प्राणघातक हमला करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीर सिंह के सुपरविजन में गोवर्धन विलास थानाधिकारी दिलिपसिंह झाला के नेतृत्व में गठित दल ने गठित दल ने प्रकरण संख्या 200/25 हिस्ट्रीशिटर गिरधारी गुर्जर पर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपी भीमसिंह देवड़ा पुत्र सरदारसिंह देवड़ा निवासी विचलावास सेठ जी की कुण्डाल गोवर्धन विलास व भेरूसिंह राणावत पुत्र जगदीशसिंह राणावत निवासी कृष्णा कॉलोनी सेक्टर 9 सविना हॉल बिचलावास सेठ जी की कुण्डाल को गिरफ्तारकिया। इस मामले में आरोपी गजेन्द्र वैरागी उर्फ गज्जु दास पुत्र जमनादास वैष्णव निवासी सुरतपुरा धारता भीण्डर हॉल आदर्शनगर तितरड़ी को पूर्व में गिरफ्तार कर इसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की थी। 11 जून को महाराणा भुपाल चिकित्सालय में पीडित गिरधारी लाल पुत्र छगनलाल गुर्जर निवासी महादेव नगर बलीचा गोवर्धन विलास ने रिपोर्ट दी कि मै अकेला बाइक पर सुरफलाया से घर जा रहा था। रात में हाइवे पर पण्डोरा होटल के पास कुण्डाल सर्विस रोड़ पर पहुचने पर बाइक व स्कूटी लेकर भेरूसिंह व भीमसिंह प्राणघातक हमला करफरार हो गए थे।

चोरी करने वाला पकड़ा

उदयपुर, (कासं)। सुखेर थाना पुलिस ने मंदिर से नकदी चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार 29 जून को सुखेर थाना क्षैत्र अमरख महादेव मंदिर के पास स्थित हनुमान मंदिर से दानपेटी का ताला तोड़ कर धार्म पुत्र वालु गमेती निवासी मेहरों का गुड़ा सुखेर नकदी चुरा ले गया। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक कैलाशचन्द्र के सुपरविजन में सुखेर थाना प्रभारी औकारसिंह के नेतृत्व में हेडकांस्टैबल नारायणसिंह के नेतृत्व में गठित दल ने आरोपी धर्मा को गिरफ्तार कर नकदी बरामद करने के बाद न्यायालय में पेशकिया। जहां से जेल भेज दिया। घटना वाली रात में वारदात करने के दौरान ठाामीणों ने आरोपी की पहचान को पुलिस को सूचना दी थी। इस मामले में मंदिर पुजारी हितेश वैष्णव पुत्र प्रकाश वैष्णव निवासी अम्बेरी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

सामान चोरी का मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। शहर भ्रमण के लिए साथ आया आरोपी पीडित का सामान व ाकदी चुरा ले गया। प्रकरण के अनुसार पीडित नरेन्द्र गोड़ पुत्र अशोक गोड़ निवासी करणीनगर एचपी गैस गौदाम के पिछे कुडी रोड़ जोधपुर नेबैगलोर हॉल जोधपुर निवासी भरत पटेल पुत्र ओमप्रकाश पटेल के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि आरोपी से गत सात आठ माह से संपर्क होने से वह मेरे साथ शहर भ्रमण के लिए आया था। 30 जून को उदयपुर पहुंचने पर द लेक मेट्रोल होटल में गाड़ी पार्क की। इस दौरान मौका मिलने पर आरोपी कार में रखा मेरा केमरा, मोबाईल व 30 हजार रूपये नकी नकदी लेकर फरार हो गया। मैं फोटा ठाापी का काम करता हूं तथा आरोपी भी यही काम करता था।

ट्रांसफार्मर तोड़ तांबा चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा, 5 गिरफ्तार

राजसमन्द, (निसं)। केलवा एवं इसके आसपास मार्बल खनन क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर तोड़कर उसमें से तांबा व ऑयल आदि चुराने वाले गिरोह का दर्फाश करते हुए पुलिस ने गिरोह से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनसे पूछताछ में और भी कई वारदातें खुली है। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले भंगार व्यवसायी दम्पती को भी गिरफ्तार किया है।

केलवा थानान्तर्गत गत दिनों हुई चोरी की घ्टना को लेकरप्रार्थी बाठैडा कला निवासी ललित पिता मांगीलाल ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि नलवाया एसोसिऐट माईन्स उमटी में रात्रि को कोई अज्ञात बदमाश माइन्स पर लगी निजी डीपी यानि ट्रांसफार्मर को तोडकर अन्दर से तांबे की कोयले व ऑयल चोरी कर ले गए। सुबह माइन्स पर गया तो चोरी के बारे मे जानकारी हुई। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके लिए पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, एएसपी महेन्द्र जी पारीक व कुम्भलगढ वृत्ताधिकारी श्रज्ञानेन्द्रसिह के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई जिसमें एएसआई इन्द्रसिह, हैड कांस्टेबल प्रधुम्न सिह, हैड कांस्टेबल संदीप कुमार व कांस्टेबल ओमप्रकाश आदि शामिल थे।

- कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं गिरोह के सदस्य

इसके बाद टीम ने थानाधिकारी लक्ष्मन विश्नोई की अगुवाइर्ू में कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम द्वारा घटनाक्रम के आसपास क्षेत्र एंव सम्भावित स्थान में तलाश करते हुए आस पास सीसीटीवी फुटेज व कॉल डिटेल के आधार पर सम्भावित स्थान राजनगर कांकरोली मुण्डोल पुठोल मादडी आदि स्थानो पर दबिशें दीं एं दबिश के दौरान सदिग्ध रोशनलाल व मांगीलाल को डिटेन किया गया इनसे पूछताछ की गई। कडी पूछताछ में अभियुक्तों ने चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। पुछताछ के आधार पर वांछित अभियुक्त गणेश लाल भील को डिटेन कर थाने में लागया गया जिससे मामले मे गहन पूछताछ की गई तो घटना करना स्वीकार किया। पूछताछ में बताया कि उन्होंने चोरी का माल लक्ष्मी खटीक व धर्मचन्द खटीक को बेचा है। इस पर इन्हें भी डिटेन कर लिया गया। इनसे पूछताछ करने पर माल खरीदने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्हें अब न्यायालय में पेश किया जाएगा।। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त नशे के आदी है जिन्होंने चोरी की योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात करने से पहले उन्होंने माइन्स की रैकी की तथा मौका पाकर रात्रि में ट्रांसफार्मर तोडकर तांबा व ऑयल चुरा लिया जिसे बेच दिया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने नलवाया एसोसिऐट माइन्स उमठी, पर हुई वारदात के अलावा अन्य कई वारदातें करना भी कबूत किया है जिसके बारे में विस्सतृत पूछताछ कर पता लगाया जा रहा है। इसके तहत आरोपियों ने अंजनी मार्मो उमराया, स्टार मिनरल्स बामनटुकडा, मामा मार्बल बामनटुकडा, शिव शक्ति मार्मो बडारडा पर हुई वारदतें करना कबूल किया है वहीं अन्य माइन्सों व कटर आदिं से भी केबल चोरी करने की जानकारी दी है।

ट्रांसफार्मर तोड़ तांबा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी।

4 अरब 21 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पारित

मंडफिया, (निसं)। श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल मंडफिया की बोर्ड बैठक नवनियुक्त मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव की अध्यक्षता में व मंदिर की मुख्य निष्पादन अधिकारी प्रभा गौतम एवं बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति में गोकुल विशांति ठाह में आयोजित हुई। बैठक में मंदिर मंडल द्वारा विभिन्न मदों में व्यय बाबत वित्तीय वर्ष 2025 - 26 हेतु कुल 04 अरब 21 करोड रुपए का बजट पारित किया गया।

आयाजित बैठक में मंदिर विकास योजना की समीक्षा के साथ यात्री सुविधाओं सहित मंदिर के विकास व विस्तार हेतु विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। जिसमें मंदिर परिसर में हेड काउंटिंग मशीन स्थापित करना, पार्किंग में सीसीटीवी स्थापित करना सहित एआई तकनीकी युक्त स्कैनिंग सिस्टम व टोकन प्रणाली स्थापित कर लागू करना, दिशा सूचक होर्डिंग लगवाना, गुरुकुल पद्धित अनुसार वैदिक पाठशाला का निर्माण, सांवलिया सेठ की शॉर्ट फिल्म, श्री कृष्ण चरित्र से जुड़ी तस्वीर, आलेख, इतिहास, डिजिटल कृत्रिम झांकियों का निर्माण, मुख्य स्थान पर एलईडी से लाइव दर्शन व्यवस्था करना, नर्सरी वाली भूमि पर वाहन पार्किंग सहित वृंदावन गार्डन की योजना तैयार करना, मंदिर गतिविधियों का डिजिटलीकरण करने सहित मुख्यत: मंदिर सुरक्षा की दृष्टि से आगामी समय में मंदिर परिसर में मोबाइल प्रतिबंधित करने जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया।

इसी के साथ मंदिर के अधीन 16 गांव के जिला मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर मेंधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर 21 हजार रुपए एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने पर आर्थिक सहायता राशि 11 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया।

(प्रपत्र संख्या-7) (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर (राज.) नोटिस

पत्रावली संख्या:-89/2025/2505
दिनांक-1/7/25

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस सम्बन्धित व्यक्तियो को

चूंकि श्री गजेन्द्र मेहता, संचालक ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा -17(2) के अन्तर्गत सम्यक ज्ञानपीठ, आशीष वाटिका के सामने, हिरणमगरी सेक्टर-13 उदयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है।

अत: एव धारा 18 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम,व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे , इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60(साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां,यदि कोई हो, प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 1/7/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आगामी पेशी तारीख9/9/25 की रखी गयी है।

मुहर (जतीन कुमार गाँधी) सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

(प्रपत्र संख्या-7) (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर (राज.) नोटिस

पत्रावली संख्या:-55/2025/2362
दिनांक-17/6/25

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस सम्बन्धित व्यक्तियो को

चूंकि श्री कर्तव्य शुक्ला, प्रन्यासी ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा -17(2) के अन्तर्गत पुनर्जनम फाउण्डेशन एवंरिसर्चइन्सटीट्यूट,उदयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है।

अत: एव धारा 18 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम,व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे , इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60(साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां,यदि कोई हो, प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 17/6/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आगामी पेशी तारीख 26/8/25 की रखी गयी है।

मुहर (जतीन कुमार गाँधी) सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

हादसे में महिला की मौत

उदयपुर ,(कासं)। शहर के बडगांव थाना क्षैत्र में छत से गिरने पर महिला की मौत हो गई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सवेरे बडगांव थाना क्षैत्र मनोहरपुरा गांव निवासी शन्नू (29) कालबेलिया पत्नी सेतुनाथ कालबेलिया की मकान की छत से निचे गिरने पर मौत हो गई। शन्नू को मिरगी का दौरा पड़ता था। सवेरे उठने के बाद वह छत पर गई थी जहां से वह निचे गिर पड़ी। इसको देख परिजन उसे उपचार के लिए चिकित्सालय ले गए। जहां उसकी मौत होगई।

अलमारी भेंट

मंडफिया। एक भक्त ने भगवान श्री सांवलिया जी सेठ मंडफिया को चांदी की अलमारी भेंट की है। जानकारी के अनुसार अर्बन होम सॉल्यूशन जयपुर के मालिक द्वारा भगवान श्री सांवलिया जी सेठ मंडफिया को चांदी की अलमारी भेंट की है।

नारायण सेवा संस्थान की बिल्डिंग में लगी आग

उदयपुर ,(कासं)। शहर के सेक्टर.4 स्थित नारायण सेवा संस्थान की बिल्डिंग के 5वें फ्लोर में बीती रात करीब12.30० बजे शॉर्ट सर्किट से अचानक लग गई।रात्रि पारी में काम रहे दस कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। अफरा तफरी का माहौल हो गया। बिल्डिंग से धुआं निकलता देख भीड जमा हो गई। कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम को सूचना दी।

- संस्था के 5 वें फ्लोर पर लगी आग,कोई जनहानि नही
- 10 फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस टीम ने पाया काबू

सूचना पर रात 1.30० बजे फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने और राहत बचाव का कार्य शुरू किया। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे तक आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाए जाने के बावजूद रुक रुककर लपटें तेज होती रही।सिविल डिफेंस टीम के जवान ब्रीदिंग मशीन लगाकर अंदर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। गनीमत रही कि आग का तुरंत पता लगने पर कर्मचारी वहां से भाग गए वरना बडी जनहानि हो सकती थी।

आग की इस घटना में लाखों रुपए का सामान जल गया। इस बिल्डिंग का 3 हजार स्क्वायर फीट का एरिया है। जिसमें 5 वें फ्लोर पर नारायण सेवा संस्थान का ऑफिस संचालित होता है। ऐसे में यहां लगा पूरा फर्नीचर जल गया। अलमारी,एलईडी, एसी कम्प्रेसर,जरूरी फाइलें-दस्तावेज सहित पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने के लिए दमकल की 10 गाडियां मंगाई गई। तब काबू पाया जा सका।5 मंजिला बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जब आग लगी तब वहां 10 कर्मचारी थे। एक ने आग लगते देखी तो तुरंत चिल्लाते हुए अपने साथियों को भागने के लिए कहा। सभी ने सीढियों से भागकर जान बचाई।बिल्डिंग के ग्राउंड से लेकर चौथे फ्लोर तक संस्थान ने दुकानें किराए पर दी हुई हैं। 5 वें फ्लोर पर उनका ऑफिस चलता है। रात में दुकानें बंद थी और संस्थान का रात्रिकालीन ऑफिस चालू था। गनीमत रही कि इस भीषण अग्निकांड में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: उविप्र/नियमन रिकार्ड/2025/2540 दिनांक :26/06/2025

आम-सूचना

निम्न आवेदन कर्ता द्वारा अपने भूखण्ड का वारीसान के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	राजस्व ग्राम	आवेदक का नाम/ पिता का नाम	मृतक का नाम/ दस्तावेज
1	45 West Part (MUT No.724)	1139.25 वर्गफीट	ढिंकली खसरा नं.3225, 3220,3231, 3233,3236	श्री ओमप्रकाश सेनानी पिता स्व.श्री विष्णु कुमार सेनानी एवं श्री चिराग फुलानी पिता श्री प्रकाश फुलानी निवासी-134,ई-क्लास, प्रतापनगर उदयपुर	श्री विष्णु कुमार सेनानी पिता श्री खेमचन्द सेनानी का मृत्यु प्रमाण पत्र, दिनांक 24.10.2024 एवं मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान द्वारा पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 04.03.2025 करने के आधार पर नामान्तरण चाहा गया है।

अत:उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्ड का वारिसान के आधार पर नामान्तरण पत्र जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति/एतराज हो तो वो अपनी आपत्ति मय आधारो सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के अन्दर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षर कर्ता को प्रस्तुत कर सम्बन्धित शाखा प्रभारी को लिपिक को प्रस्तुत करावें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर आवेदक के नाम उक्त भूखण्ड का नामान्तरण-पत्र/लीज डीड जारी की जा सकेगा।

डॉ.अभिनव शर्मा, तहसीलदार
उदयपुर विकास प्राधिकरण,उदयपुर (राज.)

बीकॉम व बीएससी के प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट रिवाइज

उदयपुर, (कासं)। मोहनलाल सुखाडिया विवि में बीकॉम व बीएससी के प्रथम सेमस्टर का रिजल्ट रिवाइज कर मंगलवार को वेबसाइड पर अपलोड कर दिया गया है। रिजल्ट रिवाइज होने के बाद इसे छात्र हितों की जीत बताया है।

छात्र नेता त्रिभुवन सिंह राठौड ने बताया कि विवि की ओर से बीकॉम व बीएससी का जो परिणाम जारी किया उससे कई छात्र.छात्राओं का भविष्य संकट में आ गया। छात्र.छात्राओं के हितों को देखते विश्वविद्यालय प्रशासन ने रिजल्ट रिवाइज की मांग की गई लेकिन जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया तो प्रशासनिक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बावजूद प्रशासन के कान पर झू नहीं रेंगने पर भूख हडताल करनी पडी।

दो दिन तक चली भूख हडताल के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुध ली और रजिस्ट्रार वीसी गर्ग ने भूख हडताल कर रहे छात्र नेता त्रिभुवन सिंह राठौड व युवराज सिंह राव को ज्यूस पिलाकर भूख हडताल को खत्म करवाई और आश्वासन दिया कि 1 जुलाई तक रिजल्ट रिवाइज करने के बाद सुविवि की वेबसाइड पर अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे में विश्वविद्यालय ने अपने वादे के अनुसार मंगलवार को रिवाइज रिजल्ट को वेबसाइड पर अपलोड कर दिया। छात्रनेता त्रिभुवन सिंह राठौड के अनुसार रिजल्ट रिवाइज होने से बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में करीब 300 व बीएससी में करीब 400 छात्र.छात्राओं को लाभ हुआ है। रिजल्ट रिवाइज होने से अब छात्र.छात्राए दूसरे सेमेस्टर के लिए फार्म भर सकेंगे। छात्र नेता त्रिभुवन सिंह राठौड ने बताया कि सुविवि में पिछले कुछ सालों से रिजल्ट रिवाइज नहीं किया। इसके लिए कई छात्र नेताओं ने आंदोलन भी किए व भूख हडताल भी की लेकिन रिजल्ट रिवाइज नहीं करवा पाए।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण का लाभ उठाया है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, उनके ऋण को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी लागू होगा।

क्रमांक	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	सैक्शन 13 (2) के नोटिस तिथि	सैक्शन 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	68958926	संपत्ति पर ऋण	09.06.2025	6,98,479.96/-

ऋणकर्ताओं एवं सह-सहऋणकर्ताओं का नामः 1. ईश्वर लाल रैबारी, 2. भगवती रैबारी

सम्पत्ति पता- प्लाट पट्टा नं. 54107, प्लाट एरिया 949 वर्ग फिट, अराजी नं. 1981, ग्राम-धानी, ग्राम पंचायत-गाडोली, पंचायत समिति-मावली, जिला-उदयपुर, राजस्थान-313203 का पूरा व प्रत्येक भाग और सीमायें है पूर्व-रास्ता फिर भालाजी रैबारी का मकान, पश्चिम-स्वयं की खाली भूमि फिर रास्ता, उत्तर-खगडी बाई का मकान, दक्षिण-मांगी लाल टैंबारी का मकान

आपसे कहा जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तारीखों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, प्रभारों आदि के साथ इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री/पट्टे या अन्यथा रूप से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
दिनांक- 02.07.2025
स्थान- उदयपुर
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

बेरोजगारी मिटाने का हल जमीन से ही निकलेगा : कटारिया

उदयपुर, (कासं)। विश्व में सबसे बडही अर्थव्यवस्था वाला भारत चौथा देश होने के साथ ही 140 करोड आबादी का हो चुका है। ऐसे में बेरोजगारी का रास्ता भी इस जमीन से ही निकलेगा यानी कृषि क्षेत्र और इसमें अपार संभावनाएं है। आवश्यकता नजरिया बदलने की है। खेती के साथ चलने वाले व्यवसाय को पहचानने की जरूरत है वरना इतने बडे मैनपावर को हम कहां रख पाएंगे ।

यह बात पंजाब के राज्यपाल एवं प्रशासक चंडीगढ गुलाब चन्द कटारिया ने मंगलवार को राजस्थान कृषि महाविद्यालय परिसर में नवनिर्मित परीक्षा सभागार के उद्घाटन उपरांत नूतन सभागार में समारोह को संबोधित कर रहे थे। कीट विज्ञान विभाग में बने इस परीक्षा सभागार के लिए स्वयं कटारिया ने ही अपने विधायक मद से 20 लाख रुपये दिए थे। उन्होंने कहा कि भारत को अन्न की दृष्टि से हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ही आत्मनिर्भर बनाया वरना हम अमेरिका से आयातित पी.एन. 48 गेहूँ पर आश्रित थे। यह लाल गेहूँ भी कंट्रोल की दुकानों से लाना पडता था। हमारे कृषि वैज्ञानिकों की क्षमताएं अपार है।

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चन्द कटारिया ने नवनिर्मित परीक्षा सभागार के समारोह को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि उदयपुर आदिवासी बहुल इलाका है। यहां किसानों के पास छोटी-छोटी जोत है। आदिवासी बारिश होने के बाद खेत में मक्का बीज डालकर मजदूरी के लिए गुजरात चला जाता है। छोटी जोत वाले किसानों की मानसिकता को बदलना होगा। एमपीयूएटी वैज्ञानिकों को ऐसा मॉडल तैयार करना होगा जिसे अपनाकर छोटी जोत के किसान परिवार अपना भरण पोषण कर सके। वो चाहे नींबू, आम, आंवले का बगीचा हो या फूल की खेती। खेती का पेटर्न बदलने की जरूरत है। विवि अभियान चलाकर एक गांव-एक किसान का चयन कर बगीचा लगाए ताकि आस-पास के कृषक भी देखकर आत्मनिर्भर बन सके। कीटनाशकों के दुष्प्रभाव सामने है। हर तीसरे घर में कैंसर मरीज है। प्रयास यह हो कि आदमी की सेहत भी ठीक रहे और आमदनी भी हो। कटारिया ने कृषि विद्यार्थियों का आव्हान किया कि भारत देश तुम्हें देख रहा है। तीसरी अर्थव्यवस्था से भारत को प्रथम पायदान पर लाने की क्षमता आप सभी में है और पूरे मनोयोग से डटे रहे तो यह उपलब्धि भी जल्दी हासिल कर लेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉ. अजीत कुमार कर्नाटक ने कहा कि नई शिक्षा नीति के आलोक में दो वर्ष पूर्व ही राजस्थान कृषि महाविद्यालय में 60 सीटें बढाई गई। वर्तमान में एक ही परीक्षा हॉल होने से 192 छात्रों की तीन पारियों में परीक्षाएं लेनी पडती थी। अब नया परीक्षा सभागार बनने से विद्यार्थियों को सुविधाएं मिलेगी। वर्ष 2022 में असम राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले विधायक मद से माननीय कटारिया ने 20 लाख रूपये प्रदान किए थे। राज्यपाल ने कहा कि मैं भी देश-दुनिया घूमा हूं लेकिन जल संरक्षण का उदयपुर जैसा उदाहरण कहीं भी देखने को नहीं मिला।

नाम परिवर्तन

मैं कंचन देवी कुमावत W/O प्रकाश कुमावत निवासी कमल तलाई कांकरोली राजसमंद अपना नाम बदलकर कंचन कुमावत रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

नाम परिवर्तन

मैं प्रकाश चन्द्र कुमावत S/O मांगी लाल कुमावत निवासी कमल तलाई कांकरोली राजसमंद अपना नाम बदलकर प्रकाश कुमावत रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

चिकित्सकों का किया सम्मान

बांसवाड़ा, (निसं)। महावीर इंटरनेशनल माही वीरा केंद्र ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी चिकित्सालय में चिकित्सकों का सम्मान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिनेश माहेश्वरी ने की।

इस अवसर पर केंद्र अध्यक्ष भुवनेश्वरी मालोत ने कहा कि चिकित्सक समाज के लिए भगवान का रूप होते हैं। माही वीरा केंद्र का उद्देश्य ऐसे सेवाभावी व्यक्तित्वों को सम्मानित कर प्रेरणा देना है। डॉ. दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि चिकित्सक सदैव समाज की सेवा के लिए तैयार हैं।

वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू

उदयपुर,(कासं)।आयड नद